न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र रसद संख्याः 05/2025

दायर दिनांकः 15.04.2025

निर्णय दिनांक 10.10.2025

—:अनवानः—

राज्य सरकार जरिये लोकेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, राजसमन्द — **प्रार्थी**

—:: बनाम ::—

श्री बजरंग वैष्णव, निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगर, जिला राजसमन्द — **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 अप्रार्थी द्वारा एल0पी0जी0 घरेलू गैस व्यवसायिक सिलेण्डरों एवं का अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग करते हुए पाये जाने पर जब्तशुदा एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर मय एल0पी0जी0 गैस एवं रिफलिंग मशीन को जब्त सरकार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत जाने पर राजसात करने बाबत ।

उपस्थितः—

1— श्री अनिल बागोरा, राजकिय अधिवक्ता, प्रार्थी

2— अप्रार्थी श्री बजरंग वैष्णव अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)

:: निर्णय ::

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 04.03.2025 को हमराह श्री राकेश माहेश्वरी, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा घरेलू गैस के दुरूपयोग को रोकने हेतु संचालित अभियान के दौरान श्री बजरंग वैष्णव द्वारा संचालित फार्म मै० बालाजी डेयरी मिष्ठान एवं चाट सेन्टर तहसील रेलगगरा जिला राजसमन्द का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। मौके पर कुल 01 घरेलू गैस सिलेण्डर पाया गया। इस क्रम में मौके पर उपस्थित श्री बजरंग वैष्णव से पूछताछ करने पर उक्त के संबंध में कोई वैध अनुज्ञा पत्र एवं खरीद भण्डारण संबधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। प्रथम दृष्टयां अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किये जाने की आशंका पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 14.2 किग्रा गैस जब्त की गयी। मौके पर जब्त किए गये घरेलू गैस सिलेण्डर एवं उनमे संग्रहित गैस का विवरण निम्नानुसार है—

क्र सं..	गैर सिलेण्डर पर अंकित संख्या	तेल कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का प्रकार	सिलेण्डर का (बाट, माप विभाग से प्रमाणित) से तोलने पर कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	शुद्ध वजन
1	242819-P	IOCL	Dom.	29.9	15.7	14.2

अत. श्री बजरंग वैष्णव द्वारा संचालित कर्म मै0 बालाजी डेयरी मिष्ठान एव चाट सेन्टर तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द द्वारा घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग किया जाना पाया गया, जो दी लिक्यीफाईड पेट्रोलियम गैस रिगुलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 का उल्लंघन किया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि जब्त सुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 14.2 किग्रा गैस को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई। अप्रार्थी को जारी नोटिस बाद तामील के प्राप्त। किन्तु बावजुद सूचना के अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 11.07.2025 को एकपक्षीय कार्यावाही की गई।

राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया कि दिनांक 04.03.2025 को अप्रार्थी से 01 भरा हुए घरेलू गैस सिलण्डर पाया गया। जिसके क्रम में जांच दल द्वारा पूछे जाने पर उक्त सिलेण्डर के संबंध में कोई वैध अनुज्ञापत्र एवं खरीद के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गये। प्रथम दष्टया अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग किये जाने की आशंका पर उक्त भरे हुए घरलू गैस सिलेण्डर मय 14.2 किलोग्राम गैस जब्त की गयी। अतः अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस का अवैध भण्डारण करने पर कालाबाजारी किया जाना पाया गया जो दी लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 का उल्लंघन है। अतः निवेदन है कि जब्तशुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 14.2 किलोग्राम गैस को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

राजकीय अधिवक्ता की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी को जारी नोटिस बाद तामील के प्राप्त होने बावजुद भी अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने से यह साबीत होता है कि अप्रार्थी घरेलू एल पी जी गैस के अवैध व्यापार में संलिप्त है तथा गैस सिलेण्डर बिना किसी वैद्य अनुज्ञप्ति के व बिना किसी वैद्य अनुमति के अपनी दुकान पर रखे जाते है, बेचे जाते है, भराये जाते है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है।

उपरोक्त विवेचनान्तर्गत यह प्रमाणित है कि उक्त जब्तशुदा सिलेण्डर विपक्षी के पास बिना वैद्य लाईसेन्स व अनुमति कब्जे में पाया गया हैं तथा प्रार्थी द्वारा की गई जब्ती की कार्यवाही नियमानुसार पाई गई हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर जिला रसद अधिकारी राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी से जब्तशुदा समस्त 01 सिलेण्डर मय 14.2 किलोग्राम गैस को राजसात किया जाकर राशि राज्यमद में जमा करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी राजसमन्द को भिजवायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 10.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद